भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4632

दिनांक 31 **मार्च**, 2022

एलपीजी सिलेंडरों का गलत उपयोग

†4632.**श्री प्रतापराव जाधव**:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री बिद्‌युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री रवि किशन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्‌वारा घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए एलपीजी सिलेंडरों के गलत उपयोग के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में ओएमसी के साथ कोई बैठक/परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि हां, तो इस संबंध में ओएमसी की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक और औद्‌योगिक वितरण समझौते में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि घरेलू एलपीजी और वाणिज्यिक एलपीजी के बीच मौजूदा मूल्य में अन्तर के कारण बेईमान लोगों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के विपथन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ओएमसीज द्वारा विपथन की शिकायतों की जांच की जाती है और यदि शिकायत सिद्ध हो जाती है तो, विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) गैर घरेलू एलपीजी की बिक्री वाणिज्यिक कार्यकलाप है और यह सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ओएमसीज ने बताया है कि वाणिज्यिक एलपीजी कारोबार अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कारोबार है जिसमें निजी एलपीजी विपणनकर्ता शामिल हैं और ग्राहक को किसी भी आपूतिकर्ता को चुनने की पूरी आजादी है।

****